

प्रकरण संख्या 37/2023 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
उनवान

1. ललित कुमार पुत्र कनकमल जी जैन निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमति संध्या धर्मपत्नी ललित कुमार जी जैन निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा।

बनाम

-वादी

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कनकमल जी जैन निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा।
2. भगतराम पुत्र उदाजी कीर निवासी रठाजना तहसील निम्बाहेड़ा।
3. मोहनलाल पुत्र उदाजी कीर निवासी रठाजना तहसील निम्बाहेड़ा।
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. उपपंजीक महोदय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव- अधिवक्ता वादीगण
2- श्री शम्भूलाल तेली - अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1

दिनांक :-12.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव वादीगण अधिवक्ता शम्भूलाल तेली अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता हैवाद पत्र:-अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा रठाजना पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 336 की आराजी नं. 1085 रकबा 1.5400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1086 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1088 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1090 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह, आराजी नंबर 1091 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 779 रकबा 1.0900 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयरभूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 21.12.2023 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने दिनांक 04.07.2024 को बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता कनकमल जैन सा.देह रहन BOB निम्बाहेड़ा
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) लगान

1091/1	0.36
1085	1.54
1086/1	0.52
1088/1	0.03
1421/1088/1	0.37

कुल किता-6 2.82

2. श्री ललित कुमार पिता कनकमल जैन सा.देह गादोला रहन BOB निम्बाहेड़ा
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर)

1086/2	0.47
779	1.09
1088/2	0.91
1421/1088/2	0.35

कुल किता-4 कुल रकबा 2.82



3 श्री भगतराम पिता उदा जी सा.देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)
1421/1088/3 0.63

किता-1 0.63

4 श्री मोहनलाल पिता उदा जी सा.देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)
1421/1088/4 0.51

किता-1 0.51

5 श्री धर्मेन्द्र कुमार, ललित कुमार पिता कनकमल जैन सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)

1091/2 0.04
1091/3 0.09
1421/1088/6 0.04
1090 0.01

किता-4 0.18

6 श्री संध्या पत्नी ललित जैन सा. गादोला खातेदार रहन BOB निम्बाहेड़ा

आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)
1421/1088/5 0.88

किता-1 0.88

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..... को अदा करे



वसवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024 को जारी की

दस्तखत
ओहदा
निम्बाहेड़ा-जिल्हा

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				

..... गवाहन.	----- 0	----- 0 खर्चा	गवाहन	----- 0	----- 0
..... फीस कमिश्नर. फीस	कमिश्नर		
..... बाबत इजराय हुक्मनामा बाबत इजराय हुक्मनामा			
..... मुतफरिक मुतफरिक			
..... भीजान भीजान			

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

